न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

प्र. मु. /19

रामचन्द्र पुत्र तोलाराम जाति जाट भादू निवासी ग्राम कुकणिया बेरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमती चुकी पत्नी लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
2 नेमाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
3 गोपालराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
4 पुनमराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
5 कुम्भाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू
6 झुमा उर्फ सुमन पुत्री लादूराम पत्नी मुकेश रामकुवार जाजड़ा जाति जाट निवासी ग्राम बल्दू तहसील लाड़नू जिला नागौर
7 पुसी पुत्री लादूराम पत्नी भंवरलाल सुगनाराम जाट तरड़ निवासी बिरमेरी बास जसरासर तहसील नोखा बीकानेर
8 सम्पू उर्फ सन्तोष पुत्री लादूराम पत्नी हड़मानाराम सुगनाराम जाट तरड़ निवासी बिरमेरी बास जसरासर तहसील नोखा बीकानेर
9 नानूराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम उन्टालड़ तहसील बीदासर चूरू
10 शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़

अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री मोहम्मद शाहिद वकील प्रार्थी

पैरोकार राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र तोलाराम जाति जाट भादू निवासी ग्राम कुकणिया बेरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मै प्रार्थी आपके उपखण्ड में खेत खसरा नम्बर 325 तादादी 3.6169 हैक्टेयर बारानी दोयम वाके रोही ग्राम आसरासर तहसील बीदासर जिला चूरू की खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक हूँ जो कि नया मार्ग बनाने मेरी जोत में प्रवेश के प्रयोजनार्थ मै राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (अधिनियम की सख्या 3) की धारा 251 अ की उपधारा 1 व 2 के अधीन अनुमति के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरे उक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 325 पुख्ता बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए नया रास्ता खेत खसरा नम्बर 326 तादादी 3.6675 हैक्टेयर की भूमि में से भूमि जो अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 9

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

के खातेदारी की जोत का खेत है में से नया मार्ग बनाने के लिए आवेदन कर रहा हूँ जो अप्रार्थी सख्या 1 ता 9 व अप्रार्थी स. 10 बैंक का विवरण उपर वर्णित अप्रार्थीगण का पूर्ण दिया हुआ है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 325 वाके रोही आसरासर की भूमि में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता सिवाय खसरा नम्बर 326 के नहीं लगता है। मुझ खातेदार प्रार्थी के खातेदारी खेत में नया मार्ग की अति आवश्यकता है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में मै प्रार्थी नया रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नमबर 326 से कायम कराने के लिए आवेदन करता हूँ प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र को अच्छी तरीके से समझने के लिए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। इसी के मुताबिक नया रास्ता खुलाया/नया कायम किया जावे। नया मार्ग बनाने की आवश्यकता रास्ता खुलवाया जावे नया मार्ग बनवाना चाहता हूँ आदि आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 ता 9 ने गत तारीख पेशी दिनांक 25–9–2019 को शपथ आयुक्त से तस्दीक शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया और मुताबिक राजीनामा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट बाबत रास्ता प्राप्त हुई। बहस उभय पक्षकारान् के अधिवक्तागण की सुनी गई। रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक भू.अ./2019/1897 दिनांक 17–9–2019 अनुसार मौके पर प्रार्थी द्वारा आवेदित व प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे में बिन्दु **ए** से बिन्दु **बी.** द्वारा दर्शाया गया हे जिसकी लम्बाई 342 फुट व चौड़ाई 16.50 फुट कुल क्षेत्रफल 5643 वर्गफुट है जिसका वर्तमान मुल्य डी.एल.सी. दर अनुसार 8768/– रूपये है जिसका दो गुना 17536/– रूपये बनता है। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 326 में से मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता जिसकी लम्बाई 342 फुट व चौड़ाई 16.50 फुट कुल क्षेत्रफल 5643 वर्गफुट है कायम किये जाने तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 325 में से दक्षिणी सींव के चिपता चिपता पूर्वी सींव से पश्चिमी सींव तक जिसकी लम्बाई 727 फुट व चौड़ाई 11'–3'' जिसका क्षेत्रफल 8178.75 वर्गफुट होता है को बतौर रास्ता कायम किया जावे।

तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट एवं पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि :–

(अ) तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 326 में से रास्ता जिसकी लम्बाई 342 फुट व चौड़ाई 16.50 फुट कुल क्षेत्रफल 5643 वर्गफुट है कायम किया जावे तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 325 में से दक्षिणी सींव के चिपता चिपता पूर्वी सींव से पश्चिमी सींव तक जिसकी लम्बाई 727 फुट व चौड़ाई 11'–3'' जिसका क्षेत्रफल 8178.75 वर्गफुट होता है को बतौर रास्ता कायम किया जावे। इसी अनुसार नक्शे में अंकन किया जाये।

लगातार.....3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

(ख) तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट एवं राजीनामा अनुसार पक्षकारान् के हिस्सा मुताबिक भूमि कम करते हूए रास्ते का पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आंवटित किया जाये तथा किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित करते हूए रास्ता का सिवाय चक खाता (रास्ते / पगड़डीया आदि) में दर्ज करायें।

(ग) अप्रार्थी सख्या 9 नानुराम का हिस्सा अप्रार्थी सख्या 10 के रहन है। रहन का इन्द्राज यथावत रखते हूए आनुपातिक कम हूए हिस्सा मुताबिक रहन का इन्द्राज वर्तमान नव संधारित किये जाने वाले हिस्सा पर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03-10–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू